श्री जीवेश कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-18/2/307 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता **(श्री जीवेश कुमार)** माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	**उत्तरदाता,** **(डॉ0 प्रमोद कुमार),** मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना
1. क्या यह बात सही है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प वन्यप्राणी-02/2002-3696(ई0), दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से जंगली जानवरों द्वारा मानव जीवन, पशुधन, फसल एवं संपत्ति को हुई क्षति के लिए सहायता राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प वन्यप्राणी-02/2002-369(ई0), दिनांक- 19.07.2024 के माध्यम से चिन्हित जंगली जानवरों द्वारा मानव जीवन, पशुधन, फसल एवं संपत्ति को हुई क्षति के लिए सहायता राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है।
2. क्या यह बात भी सही है कि उक्त संकल्प में साँप के काटने अथवा उसके कारण मानव मृत्यु/क्षति को जंगली जानवर की श्रेणी में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग सर्पदंश के कारण मृत्यु अथवा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं; जबकि साँप भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित जीवों की श्रेणी में आते हैं?	स्वीकारात्मक ।

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्पदंश से मृत्यु अथवा क्षति को भी जंगली जानवरों से हुई क्षति की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए उक्त संकल्प में आवश्यक संशोधन कर साँप को जंगली जानवर की श्रेणी में कब तक शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक-1213 दिनांक 24.03.2022 से राज्य में सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पौन्स कोष/ राष्ट्रीय आपदा रिस्पौन्स कोष से अनुग्रह अनुदान के भुगतान का प्रावधान किया गया है। राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, द्वारा किया जाता है। इसलिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के स्तर से सर्पदंश के मामलों में सहाय्य राशि भुगतान के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

ज्ञापांक: 03/बि0वि0स0(अ0सू0)-27/2026............../प.व.ज.प.,पटना-15, दिनांक...............

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(धर्मेश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: 03/बि0वि0स0(अ0सू0)-27/2026............../प.व.ज.प.,पटना-15, दिनांक...............

प्रतिलिपि- ऑनलाइन प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0-18/2/307, दिनांक-01.02.2026 के प्रसंग में अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को पॉच अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(धर्मेश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: 03/बि0वि0स0(अ0सू0)-27/2026..814..../प.व.ज.प.,पटना-15, दिनांक..07/02/2026

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/2/2026
(धर्मेश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

श्री जिवेश कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18/2/204 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री जिवेश कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	**श्री दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।**
(1)	क्या यह बात सही है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 8प/वि–5–131/2013/पं०/रा०/5482 पटना दिनांक 01.10.2018 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधि के परिजन को पाँच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है;	**स्वीकारात्मक**
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुग्रह अनुदान राशि निर्वाचित जन प्रतिनिधि के सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रावधानित नहीं है;	**<u>अस्वीकारात्मक</u>**
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्य मृत्यु पर पाँच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि का प्रावधान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	**<u>अस्वीकारात्मक</u>** विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई सामान्य मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।